**संख्या-61/2017/2151/41-2017-307 सा0/14**

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

पर्यटन, उ0प्र0,

लखनऊ।

**पर्यटन अनुभाग** **लखनऊः दिनांक 22 नवम्बर, 2017**

**विषय- पर्यटन विभाग में निष्प्रयोज्य घोषित/नीलाम किये गये वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नवीन वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।**

---

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3376/21-1-1(वाहन क्रय) नजा0-143/2017 दिनांक 26 सितम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन विभाग में निष्प्रयोज्य घोषित/नीलाम घोषित मारुति जिप्सी (पेट्रोल चालित) वाहन सं0-यू0पी0 32 यू0 5860 के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरुप 01 नवीन वाहन मारुति सुजकी मॉडल सियाज डेल्टा, पेट्रोल (यूरो IV Compliant) को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1/2015/403/18-2-15-125 (ल0उ0)/2014 दिनांक 22 मई, 2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार डी0जी0एस0एण्ड डी0 रेट पर शासन के ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल की दर पर क्रय किये जाने हेतु रू0 7,29,401.42 (रुपये सात लाख उन्तीस हजार चार सौ एक तथा बयालिस पैसे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) उक्त वाहन का क्रय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-8/2017 बी0-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों तथा बजट मैनुअल में दिये गये संगत नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए डी0जी0एस0एण्ड डी0 रेट पर ही क्रय किया जायेगा। क्रय किये जाने वाले वहन की गुणवत्ता तथा दर की वैधता सुनिश्चित कर ली जायेगी तथा वाहन क्रय किये जाने की सूचना समस्त प्रपत्रों सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उपर्युक्त मारुति सुजकी मॉडल सियाज डेल्टा, पेट्रोल (यूरो IV Compliant) वाहन का अन्य वाहनों के सापेक्ष यथासम्भव तकनीकी परीक्षण सुनिश्चित कराने के पश्चात ही शासकीय उपयोगिता एवं मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए ही वाहन का क्रय सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रस्तर-2 में वाहन क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

3. प्रस्तर-2 में स्वीकृत वाहन के क्रय पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष-3454-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-742/दस-2017 दिनांक 20 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

**संख्या- 61 /2017/2151(1)/41-2017-307 सा0/2014 तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
7- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।